संख्या-103 / 2015 / 1422 / 41-2015-116 सा0 / 15

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 16 जून,2015

विषय- उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन नीति लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश विविध आकर्षणों का प्रदेश है। यहाँ पर स्थित विश्व प्रसिद्ध स्मारक, सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक संपदाएं तथा हस्तशिल्प पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पर्यटन आकर्षणों की इस कडी में ग्रामीण पर्यटक भी एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके माध्यम से अधिक पर्यटकों को प्रदेश की ओर आकर्षित करने के साथ-साथ उनका प्रदेश में प्रवास भी बढाया जा सकता है। ग्रामीण पर्यटन को विकसित एवं प्रोत्साहित करके जहाँ रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में बढेंगे वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का शहर की ओर पलायन भी कम होगा। अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण पर्यटन के समेकित विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश ग्रामीण पर्यटन नीति" निम्नवत् लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

उत्तर प्रदेश ग्रामीण पर्यटन नीति:

उद्देश्य:-

(1) पर्यटन के सतत् विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास, निर्माण कार्य तथा कौशल विकास (कार्यशालायें, प्रशिक्षण कार्यक्रम, ब्रान्डिंग एवं प्रोत्साहन तथा विपणन) करना।

(2) ग्रामों एवं क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं के साथ समन्वय करना।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु पर्यटन-जनित रोजगार के अवसरों का सृजन।

(4) ढांचागत पर्यटन विकास के माध्यम से ग्रामीण दस्तकारों एवं कलाकारों का सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन।

(5) परम्परागत कला एवं हस्तशिल्प को बढावा देना।

(6) पर्यटन के माध्यम से मूलभूत सुविधायें तथा स्वस्थ वातावरण तैयार करना ताकि स्थानीय लोगों के जीवन शैली में सुधार हो सके।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं का पलायन रोकने के लिए कौशल-विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना।

(8) ग्रामीण अंचलों में स्थित प्राकृतिक सम्पदाओं के संरक्षण एवं विकास के लिए पर्यटन की अहम् भूमिका तय करना।

2- <u>ग्रामों का चिह्नीकरण</u>

(1) ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से राज्य में ऐसे ग्रामों को चिह्नीकृत करना जहां पर्यटन की प्रचुर सम्भावनायें उपलब्ध हों।

(2) चिह्नित किये गये ग्राम का मुख्य पर्यटन स्थल/परिपथ के समीप होना अनिवार्य है।

(3) चयनित ग्राम की अपनी कला, शिल्प, सांस्कृतिक परंपरा, व्यंजनों, वास्तुकला, विरासत, इतिहास और प्राकृतिक दृश्यों इत्यादि में विशिष्टता होनी चाहिए, जो इसकी ख्याति का आधार हो।

(4) चयनित ग्राम के इतिहास एवं परम्परा सम्बन्धी मान्य अभिलेख होने चाहिए।

(5) प्राथमिकता उन ग्रामों को दी जायेगी जो स्वयं के संसाधनों अथवा अन्य संसाधनो से युक्त हों जैसे-विधायक/सांसद निधि, ग्राम विकास योजनाओं हेतु प्राप्त कोष, अन्य कोई अनुदान आदि ताकि ग्रामों के सम्पूर्ण विकास का कार्य कराया जा सके।

(6) चयनित ग्रामों के रख-रखाव के लिए प्रबन्धन अनुबन्ध तथा सम्बन्धित व्यक्ति/विभागों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3- <u>वित्तीय सहायता-</u>

(1) राज्य सरकार ऐसे किसी ग्राम के लिए अधिकतम एक करोड रूपये तक धनराशि स्वीकृत करेगी।

(2) विशेष परिस्थितियों में सम्बन्धित जिलाधिकारी, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी एवं ग्राम सभा की अनुशंसा के आधार पर इस योजना को विभिन्न चरणों में अधिकतम दो वर्षों में पूरा कराया जायेगा। दूसरे वित्तीय वर्ष में आवश्यतानुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी जो किसी भी दशा में एक करोड रूपये से अधिक नहीं होगी अर्थात दोनों वित्तीय वर्षों में कुल स्वीकृत धनराशि दो करोड रूपये से अधिक नहीं होगी।

(3) योजना की लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत कौशल विकास, ग्राम स्तर गाइड प्रशिक्षण एवं उपकरणों आदि की खरीद हेतु आवंटित किया जायेगा।

(4) जो ग्राम हस्तशिल्प कला एवं बुनकरों/ हथकरघा की बहुलता वाले होंगे, उन ग्रामों का वित्तीय पोषण भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय एवं कपडा मंत्रालय से भी कराया जा सकेगा।

(5) एक वर्ष में अधिकतम 03 ग्राम चयनित किये जायेंगे। अत: एक वर्ष में कुल तीन करोड रूपये की धनराशि का व्यय निहित है। प्रस्तर 3(2) में निहित प्राविधानों के क्रम में यदि कोई ग्राम दूसरे वित्तीय वर्ष में भी चयनित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में नये चयनित ग्रामों की संख्या दो हो जायेगी। अर्थात प्रत्येक दशा में एक वित्तीय वर्ष में कुल तीन ग्रामों हेतु कुल तीन करोड धनराशि की बजट व्यवस्था की आवश्यकता होगी।

4- <u>अनुमन्य कार्य-</u>

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रसाधन एवं पेयजल सुविधाओं से युक्त मार्गीय सुविधायें, हस्तकला आदि के प्रदर्शन हेतु उपयुक्त स्थल।

(2) पर्यटन सम्बन्धी स्थलों पर गांव में साइनेजेज की स्थापना।

(3) ग्राम के अन्तर्गत पर्यटन स्थलों पर आलोक व्यवस्था।

(4) पर्यटन स्वागत केन्द्र।

(5) पंचायत सीमा के अन्तर्गत् पर्यटन आकर्षणों से युक्त स्थलों को जोडने वाले मार्गों तथा नालों का सुधार। इसके अन्तर्गत मुख्य मार्ग सम्मिलित नहीं होंगे जो ग्राम को नगरों से जोडते हैं।

(6) ग्रामों मे स्थित स्मारकों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य पुरातत्व, संस्कृति विभाग आदि से सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही पुनरूद्धार/मरम्मत कराया जा सकेगा। इस प्रकार का कार्य उक्त संस्थाओं के निर्देशन में ही सम्पन्न किया जायेगा।

(7) पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा परम्परागत महत्व के स्थलों जैसे-हवेली, घरों का पुनरूद्धार/पुर्नस्थापन का कार्य।

(8) पर्यटन से सीधी जुडी गतिविधियों जैसे-जलक्रीडा, साहसिक खेलों हेतु उपकरण अथवा इको-फ्रेन्डली परिवहन सुविधाओं को सुलभ कराना।

(9) ग्राम के चतुर्दिक विकास हेतु लैण्डस्केपिंग, पार्को का विकास तथा चहारदीवारी आदि के कार्य कराये जायेंगे।

(10) वर्ष 1950 से पूर्व निर्मित घरों/हवेलियों को पर्यटकों हेतु आवासीय व्यवस्था के रूप में विकसित करने हेतु अधिकतम रू0 5.00 लाख की धनराशि निम्नलिखित कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जाएगी:-

(क) प्रसाधन/पेयजल सुविधाओं हेतु।

(ख) भवन के पुनरूद्धार हेतु।

(ग) अधिकतम चार कक्षों के निर्माण हेतु।

(घ) निजी संग्रहालय अथवा गैलरी हेतु।

(ड.) तैयार करायी गयी आवासीय इकाईयों को विभागीय पेइंग गेस्ट योजना के अन्तर्गत पंजीकृत करना आवश्यक होगा।

(च) सम्पत्ति स्वामित्व एवं सम्पत्ति का निर्विवाद प्रमाण-पत्र, राजस्व कर से सम्बन्धित एन0ओ0सी0 उप जिलाधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(छ) निर्मित सुविधाओं को न्यूनतम पांच वर्ष तक संचालित रखना अनिवार्य होगा। प्रदत्त सुविधाओं का उपयोग पर्यटन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य हेतु नहीं किया जाएगा।

<u>पात्रता:-</u>

सम्पत्ति/मकान के चयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, उप जिलाधिकारी, लोक निर्माण विभाग एवं संस्कृति विभाग के अधिकारी सदस्य होंगे। एक से अधिक प्रस्ताव होने की स्थिति में सम्पत्ति/मकान की ग्राम

http://shaanidesh.up.nic.in

में अवस्थित उसकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं वास्तुशिल्प को आधार मानते हुये सर्वोत्कृष्ट सम्पत्ति का चयन किया जायेगा।

(11) पर्यटन सम्बन्धी अन्य कार्य।

(12) ग्रामीण पर्यटन विकास हेतु अनुमन्य कार्यो की व्यय सीमा निम्नलिखित है:-

- **(क)** पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं हेतु कुल लागत का अधिकतम 35 प्रतिशत।
- **(ख)** पेयजल एव जन सुविधाओं हेतु कुल लागत का अधिकतम 20 प्रतिशत।
- **(ग)** पर्यटक केन्द्रों पर आलोक व्यवस्था हेतु कुल लागत का अधिकतम 20 प्रतिशत।
- **(घ)** साइनेज हेतु कुल लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत ।
- **(ड.)** उपकरण एवं प्रशिक्षण हेतु कुल लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत।
- **(च)** पर्यटकों के आवासीय व्यवस्था हेतु कुल लागत का अधिकतम 5 प्रतिशत।

(13) विशेष परिस्थितियों में ग्रामीण पर्यटन प्रबन्धन समिति (**RTMC**) द्वारा महानिदेशक, पर्यटन के अनुमोदनोपरान्त विभिन्न मदों की अधिकतम व्यय सीमा में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

5- <u>परियोजना का क्रियान्वयन:-</u>

(1) सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के साथ मासिक समीक्षा बैठकों में महानिदेशक, पर्यटन द्वारा राज्य एवं शासन स्तर पर नियमित रूप से निष्पादित कार्यो की समीक्षा की जायेगी। योजना का नोडल अधिकारी क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी होगा।

(2) ग्रामीण पर्यटन प्रबन्ध समिति (**RTMC**) जिसमें जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, गैर सरकारी संगठन अथवा सम्बन्धित क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों तथा परियोजना सलाहकार (जो परियोजना की डी0पी0आर0 कौशल विकास कार्यक्रम तथा रख-रखाव पश्चात इसकी प्रबन्ध योजना तैयार करेंगे) सम्मिलित होंगे। यह समिति नियमित रूप से कार्यों की समीक्षा करेगी। आगणन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

(3) समिति (**RTMC**) के सभी सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण पर्यटन परियेाजनाओं का स्वरूप एवं क्रियान्वयन अन्य विकास योजनाओं को समाहित करते हुए इस प्रकार से किया जाएगा कि क्षेत्र का समेकित विकास हो सके तथा स्थानीय समुदाय इसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें।

(4) केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को भी इस योजना में विकास हेतु चयनित किया जा सकेगा।

(5) गठित समिति (**RTMC**) प्रत्येक माह कार्यो की प्रगति की समीक्षा करेगी।

6- <u>कार्यों का संचालन:-</u>

(1) परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य राज्य सरकार की किसी संस्था को सौंपा जायेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा सीधे धनराशि उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि संस्था

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा प्रथम चरण की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त जारी की जायेगी।

(3) कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ करने तथा आवश्यक उपकराणों की खरीद से पूर्व समस्त निर्धारित वित्तीय औपचारिकतायें पूर्ण करेगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

(4) योजना के क्रियान्वयन में कार्यदायी संस्था द्वारा राज्य पी0डब्ल्यू0डी0 की निर्धारित दरों का प्रयोग किया जायेगा।

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा अन्तिम किश्त की धनराशि जारी होने की तिथि से छः माह के अन्दर अन्तिम किश्त की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, परियोजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र तथा रख-रखाव एवं सम्पत्ति का प्रबन्धन एग्रीमेन्ट उपलब्ध कराना होगा।

7- <u>रख-रखाव एवं प्रबन्धन समितिः-</u>

(1) तैयार किये गये आधारभूत ढांचे एवं सम्पत्ति का रख-रखाव एवं प्रबन्धन ग्राम पंचात/निजी क्षेत्र/ख्याति प्राप्त संगठन/गैर-सरकारी संगठन जो इस कार्य से सम्बन्धित हों, द्वारा किया जोगा एवं पुनरूद्धार किए गए स्मारकों को सम्बन्धित विभागों को हस्तान्तरित किया जाएगा, जिनका इस पर स्वामित्व होगा परन्तु इसमें राज्य सरकार से किसी प्रकार का वित्तीय प्रोषण वांछित नहीं होगा।

(2) कार्य पूर्ण होने के साथ ही उक्त एग्रीमेन्ट/एम0ओ0यू0 उपलब्ध कराना होगा।

(3) प्रदत्त सुविधाओं/सेवाओं का प्रचार-प्रसार पर्यटन विभाग की प्रचार सामग्री, वेबसाइट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से किया जायेगा।

2. कृपया उक्त नीति को क्रियान्वित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अमृत अभिजात)
सचिव।

<u>संख्या-103/2015/1422(1)/41-2015 तद् दिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।

3- क्षेत्रीय उपनिदेशक, पर्यटन विभाग/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, उ0प्र0।

4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।

5- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in